न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल अधिकारी महोंदय राजस्व मंडल ग्वालियर

निगरानी – 4374/2018/आगर/मालवा

प्र.क्र.

प्रभूलाल पिता पन्नालाल जाति बन्जारा
निवासी ग्राम बडगोंन तह. आगर जिला-
आगर -मालवा म. प्र. ।

-----आवेंदक /निगरानीकर्ता

बनाम

1:- कैलाश पिता रामा जी ,
2:- सिता बाई पूत्री रामा जी ,
3:- गिता बाई पूत्री रामा जी , समस्त
जाति बन्जारा समस्त निवासी गण, ग्राम
बडगोंन तह. आगर जिला आगर -मालवा।
4:- म. प्र. शासन द्वारा पटवारी, ग्राम
बडगोंन तह. आगर जिला आगर -मालवा ।

-----अनावेंदक गण

प्रार्थी अभिभावक श्री कैलाश चौधरी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 13-06-2018
अधीक्षक 13.06.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

502
13/6/18

निगरानी अर्तगत धारा 50 म. प्र. भू.रा.स. 1959 कें तहत प्र.क्र. 0123/अ-12/17-18 में पारित सिमांकन आदेंश दिनांक 30/05/2018 वडंजलास श्री मान तहसील--दार महोंदय तह. आगर द्वारा पारित सिमांकन आदेंश दिनांक 30/05/2018 कें आधार पर दिनांक 23/5/2018 कों किये गयें सिमांकन सें असंतुष्ट होकर निम्न - आधारों पर निगरानी प्रस्तुत हैं :-

माननीय महोंदय ,

निगरानी कर्ता कीऔर सें निम्न निगरानी प्रस्तुत हैं :-

1:- यह किअनावेंदक गण कें द्वारा भूमि ग्राम बडगोंन कें सर्वे न. 273 रकबा 0000000000 0.90 आरी का सिमांकन करनें हेतू धारा 129 म. प्र. भू. रा.स. 1959 कें तहत तहसील न्यायालय में आवेंदन पेंश किया गया जिसकें समर्थन में चालान प्रति एवं खसरा व बिवन कि प्रति तथा नकशा कि प्रत प्रस्तुत किया गया ।

2:- यह कि उक्त आवेंदन कें पालन में दिनांक 30/5/2018 कों प्रकरण अ-12 में दर्ज किया जाकर सिमांकन कियें जानें हेतू आदेंशित किया गया उक्त सिमांकनआदेंश कें पालनं में गिरधावर साहब वत्त-01 आगर कें द्वारा दिनांक 23/5/2018 कों - धारा 129 म. प्र. भू. रा.स. 1959 कें प्रावधानों कें विपरित मन मानेंढंग सें बिना पडोंसी काश्त कारों कों सूचना दियें प्राकृतिक न्याय सिध्दान्त कों ताक पर रखाकर अनावेंदकगण कें प्रभाव में आदेंश सिमांकन आदेंश कें पूवं ही मोंकें पर जाकर पटवारी

प्रभूलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4374/2018/आगर मालवा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री कैलाश जोशी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला आगर मालवा के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	